

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, धौलपुर (राज0)

E-Mail:- dlo.dha@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 167

दिनांक : 09-07-2020

खुली निविदा संख्या 02/2020-21 में संशोधन

राजकीय शिशु गृह (विशेषज्ञ दत्तकग्रहण एजेन्सी), धौलपुर में निम्न कार्य जॉब बेसिस पर कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित खुली निविदा संख्या 02/2020-21 में अधोलिखित दस्तावेजों में लिपिकीय त्रुटि हो जाने के कारण संशोधन किया जाता है:-

1. पृष्ठ संख्या 06:- परिशिष्ट-ब 'निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड (स्टेज-II)' में स्थित टेबल में-
 1. कॉलम संख्या (3) कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या में मैनेजर/कॉर्डिनेटर, सोशल वर्कर कम अर्लि चाइल्ड हुड एजुकेंटर, नर्स/ए.एन.एम., आया हेतु संख्या क्रमशः 1, 1, 1 एवं 6 पढी जावे।
 2. कॉलम संख्या (4) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर में नर्स/ए.एन.एम. हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर 6474 पढी जावे।

उक्त संशोधित दस्तावेज संलग्न है, जो कि वित्तीय बिड है एवं उक्त संशोधित वित्तीय बिड में ही दरें प्रस्तुत की जावें। उक्त संशोधित दस्तावेज कार्यालय से एवं sppp.rajasthan.gov.in एवं sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त/डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न:- संशोधित परिशिष्ट-ब 'निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड (स्टेज-II)'।



अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,
धौलपुर

दिनांक:- 09-07-2020

क्रमांक:- 168-174

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान-जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला परिषद/जिला कलेक्टर कार्यालय।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, धौलपुर।
5. श्रीमान् सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, धौलपुर।
6. सूचना सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, धौलपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्रीमान् सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा में संशोधन सूचना को एक व्यापक प्रचार-प्रसार वाले समाचार पत्र (धौलपुर-भरतपुर-करौली-सवाईमाधोपुर) संस्करण तथा एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एक बार न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाकर बिल समाचार पत्रों सहित इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें।



अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,
धौलपुर

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,
धौलपुर (राज0)

E-Mail:- dlo.dha@rajasthan.gov.in

परिशिष्ट - ब

निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड (स्टेज-II)

विषय:- जॉब बेस पर मैनेजर/कॉर्डिनेटर, सोशल वर्कर कम अर्लि चाइल्डहुड एजुकेंटर, आया नर्स, चौकीदार का कार्य कराने के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-.....
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर:-.....
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-.....
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:- 02/2020-21
5. मैं/हम अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, धौलपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 02/2020-21 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. उपरोक्त कार्य बाबत हमारी दरें निम्न प्रकार हैं:-

क्र सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर	EPF	ESI	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	विभाग से मांग जीएसटी प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)
1	मैनेजर/कॉर्डिनेटर	1	7774	नियमानुसार	किशोरानुसार	1		विधमानुसार
2	सोशल वर्कर कम अर्लि चाइल्डहुड एजुकेंटर	1	6474					
3	नर्स/ए.एन.एम.	1	6474					
4	आया	6	5850					
5	चौकीदार	1	5850					

नोट:-

1. श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार द्वारा गृह में उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों (श्रमिकों) को अनिवार्य रूप से निविदादाता को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दरें देवें। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरों के प्रस्ताव दिये जाते हैं, तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।
2. निविदादाता द्वारा दरें कॉलम सं. 8, 9 में ही दी जावेगी।
3. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ईपीएफ एवं ईएसआई की संशोधित दरों के अनुसार इस विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा। उक्त दरें संशोधित होने पर संबंधित निविदादाता को ही बिल के साथ संशोधित दर का उल्लेख करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता